न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 173/2021 दायर दिनाँक 26.07.2021

वादी

1. युसुफ अली पुत्र वाहीद खां उम्र 47 वर्ष जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. महेन्द्र पुत्र हरजीराम
2. रामकंवरी पत्नि हरजीराम समस्त जाति जाट निवासीगण जतनपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
3. रामेश्वर पुत्र गोरधन
4. रामचन्द्र पुत्र गोरधन
5. रामस्वरूप पुत्र गोरधन
6. पेमी देवी बैवा गोरधन समस्त जाति जाट निवासीगण जतनपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर
7. मुराद खां पुत्र समदर खां
8. फैज मोहम्मद खां पुत्र उम्मेद खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण बेरी खर्दु तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
9. तहसीलदार डीडवाना।
10. उप पंजीयक मौलासर तह0 डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री हकीम खां वकील वादी।
2. श्री असलम खां वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 8 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 30.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी ग्राम बेरी खुर्द का मूल निवासी है तथा जतनपुरा में पुराने खेत खसरा सं0 41 रकबा 15 बीघा में से वादी ने प्रतिवादी सं0 01 महेन्द्र व प्रतिवादी सं0 02 रामकंवरी से दिनांक 24.01.2005 को 02 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्री खरीद कर लिया था।

यह है कि वादी ने उक्त भूमि खरीद करते ही रजिस्ट्री करवाकर उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से लेकर अब तक लगातार वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह है कि वादी ने दिनांक 24.01.2005 को तत्कालीन खेत खसरा सं0 41 रकबा 15 बीघा में से 02 बीघा भूमि का रजिस्ट्री के जरिये खरीद किया था किन्तु वर्तमान में खसरा सं0 41 का खसरा नम्बर बदलकर नया खसरा सं0 64 रकबा 2.48 हैक्टे0 दर्ज है जो सामलाति खातेदारी की भूमि है।

यह है कि वादी खसरा नम्बर 6[illegible]48 हैक्टे0 में रजिस्ट्री का नामान्तरण करवाने के लिये राजस्व अधिकारियों के च[illegible] लगाते रहे किन्तु आज तक वादी का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ [illegible] वाद करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है:–

यह है कि सरहद बेरी खुर्द के खेत खसरा नम्बर पुराने 41 रकबा 15 बीघा व नये खसरा सं0 64 रकबा 2.48 हैक्टे0 में से प्रतिवादी महेन्द्र की खातेदारी भूमि में से वादी के नाम 01 बीघा 02 बिस्वा व प्रतिवादी सं0 02 रामकुंवारी की खातेदारी में से 18 बिस्वा भूमि का नामान्तरण वादी के नाम खातेदारी घोषित कि जावें उक्त भूमि की वादी के पास दिनांक 24.01.2005 की रजिस्ट्री है जो प्रतिवादी सं0 01 व 02 ने वादी के हक में करवाई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 का जरिये वकील असलम खां की तरफ से इकबालिया जवाब व राजीनामा पेश हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बेरी खुर्द के खेत खसरा नम्बर पुराने 41 रकबा 15 बीघा व नये खसरा सं0 64 रकबा 2.48 हैक्टे0 में से प्रतिवादी महेन्द्र की खातेदारी भूमि में से वादी के नाम 01 बीघा 02 बिस्वा व प्रतिवादी सं0 02 रामकुंवारी की खातेदारी में से 18 बिस्वा भूमि का नामान्तरण वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 30.09.2022 [illegible] इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 173/2021 दायर दिनाँक 26.07.2021

वादी

1. युसुफ अली पुत्र वाहीद खां उम्र 47 वर्ष जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. महेन्द्र पुत्र हरजीराम
2. रामकंवरी पत्नि हरजीराम समस्त जाति जाट निवासीगण जतनपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
3. रामेश्वर पुत्र गोरधन
4. रामचन्द्र पुत्र गोरधन
5. रामस्वरूप पुत्र गोरधन
6. पेमी देवी बैवा गोरधन समस्त जाति जाट निवासीगण जतनपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर
7. मुराद खां पुत्र समदर खां
8. फैज मोहम्मद खां पुत्र उम्मेद खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण बेरी खर्दु तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
9. तहसीलदार डीडवाना।
10. उप पंजीयक मौलासर तह0 डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 30.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हकीम खां वकील वादी व श्री असलम खां वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 8 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बेरी खुर्द के खेत खसरा नम्बर पुराने 41 रकबा 15 बीघा व नये खसरा सं0 64 रकबा 2.48 हैक्टे0 में से प्रतिवादी महेन्द्र की खातेदारी भूमि में से वादी के नाम 01 बीघा 02 बिस्वा व प्रतिवादी सं0 02 रामकुंवारी की खातेदारी में से 18 बिस्वा भूमि का नामान्तरण वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिग.........–.......... बाबत..........–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... [illegible] तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख [illegible].09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner